छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

प्रकाशनार्थ

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

सी.एस.जे.एम.यू./सा. प्रशा./875/2016 दिनांक 15.02.2016

अल्पकालिक निविदा सूचना

विश्वविद्यालय की परीक्षाओं/उत्तर पुस्तिकाओं की ढुलाई एवं अन्य कार्य के लिए पंजीकृत फर्मों/एजेंसियों से किराये के वाहन दरों हेतु निविदा दिनांक 24.02.2016 को अपराह्न 2.00 बजे तक उपकुलसचिव (प्रशा.) के कक्ष में रखे टेण्डर बॉक्स में जमा की जा सकती है, जिसे उसी दिन अपराह्न 3.00 बजे सभाकक्ष में खोली जायेंगी। निविदादाता निविदा प्रपत्र वि0वि0 के कैश काउन्टर से रु0 200.00 नकद जमा कर अथवा वि0वि0 की वेबसाइट www.kanpuruniversity.org से डाउनलोड कर रु. 200.00 का बैंक ड्राफ्ट वित्त अधिकारी, सी.एस.जे.एम.यू., कानपुर के पक्ष में देय हो संलग्न कर जमा कर सकते हैं। निविदा प्रपत्र, शर्तें एवं अन्य विवरण वि0वि0 की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

(सय्यद वकार हुसैन)
कुलसचिव

Gram : University

Ph. : 2570301
Fax : 2570006

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

कल्यानपुर, कानपुर
KALYANPUR, KANPUR

Ref. No.: C.S.J.M.U./ Gen. Admin./ 875/2015-16

Date : 15-02-2016

क्रमांकः

मूल्य रु0 200/– (दो सौ मात्र)

निविदा प्रपत्र

विश्वविद्यालय की परीक्षाओं/उत्तर पुस्तिकाओं की ढुलाई एवं अन्य कार्य हेतु अनुभवी पंजीकृत ट्रैवेल्स एजेंसियों से विभिन्न प्रकार के वाहन दरों हेतु **दिनांकः 24.02.2016** अपराह्न 2:00 बजे तक, मुहरबंद निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा उसी तिथि को अपराह्न 3:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष विश्वविद्यालय परिसर स्थित प्रशासनिक भवन के द्वितीय तल स्थित सभा कक्ष में खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र के लिफाफे के ऊपर **''वाहन दरों हेतु निविदा–2016''** लिखना आवश्यक है। निविदा प्रपत्र में निर्धारित धरोहर राशि रु0 50,000/– (रुपये पचास हजार मात्र) केवल बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में **'वित्त अधिकारी, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर** के नाम बना हो संलग्न किया जाना आवश्यक है। बिना धरोहर धनराशि के निविदा पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। अपेक्षित निविदा प्रपत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.kanpuruniversity.org से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं, किन्तु डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र के साथ रु0 200/– (रुपये दो सौ मात्र) का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना होगा। बैंक ड्राफ्ट वित्त अधिकारी, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के नाम से कानपुर में देय होगा।

कुलसचिव

निविदा प्रपत्र का विवरण निम्नवत् है :–

1. ट्रैवेल्स एजेंसी का नाम व पता : ....

   ....

   ....

2. ट्रैवेल्स एजेंसी की पंजीकरण संख्या : ....

   एवं पंजीकरण प्रपत्र की प्रमाणित छायाप्रति

3. ट्रैवेल्स एजेंसी का टैन नं0 : ....

4. ट्रैवेल्स एजेंसी के स्वामी का पैन नं0 : ....

5. निविदा प्रपत्र क्रय करने सम्बन्धी विवरण–

   बैंक ड्राफ्ट/रसीद सं0 .... दिनांकः .... बैंक का नाम..........................

6. सुरक्षा धनराशि रु0 50,000/– (रुपये पचास हजार मात्र) का विवरणः

   बैंक ड्राफ्ट/रसीद सं0 .... दिनांकः .... बैंक का नाम..........................

आवेदक के हस्ताक्षर

मो0 नं0....................................

फर्म द्वारा प्रस्तुत दरें :–

क्र. सं.	वाहन का प्रकार	स्थानीय किराया (250 किमी. तक)	बाहर का किराया (250 किमी. से अधिक	नाइट चार्ज एवं अन्य
1.	मारूति वैन			
2.	टाटा सूमो, इण्डिका, बोलेरो (नॉन ए.सी.)			
3.	टाटा सूमो, इण्डिका, बोलेरो (ए.सी.)			
4.	क्वालिस, इन्नोवा, टवेरा, स्कार्पियों, इण्डिगो आदि लक्जरी गाड़ियाँ			
5.	डी0सी0एम0 / आयसर / ट्रक			
6.	छोटा हाथी / लोडर			

विशेष नोटः क्रमांक–5 एवं 6 पर उल्लिखित भार–वाहन से सम्बंन्धित वाहनों की दर का उल्लेख सम्बंधित वाहन की भार–क्षमता जो परिवहन विभाग द्वारा स्वीकृत है सहित करना होगा। किसी भी दशा में अधिक लोडिंग की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

आवेदक के हस्ताक्षर

आवश्यक शर्तें एवं निर्देश :–

1. विश्वविद्यालय द्वारा निविदा के आधार पर योजित ट्रैवेल्स एजेंसी द्वारा रु0 100/– के स्टाम्प पेपर पर छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर से अनुबन्ध करना होगा।
2. योजित ट्रैवेल्स एजेंसी द्वारा रु0 50,000/– (रुपये पचास हजार मात्र) की सुरक्षा धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक, जो कि वित्त अधिकारी, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के पक्ष में देय हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिना सुरक्षा धनराशि के आपकी निविदा पर विचार करना संभव नहीं होगा।
3. वाहन का पंजीकरण व कम्प्रीहैंसिव बीमा अद्यतन होना अनिवार्य है। साक्ष्य हेतु प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना है।
4. चालक को सम्पूर्ण रूप से प्रशिक्षित होना चाहिए। चालक के पास नवीनीकृत ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है।
5. योजित अवधि में वाहन का रख–रखाव तथा उस पर आने वाला सम्पूर्ण व्यय एजेंसी को वहन करना होगा।
6. एजेन्सी के चालक का वेतन तथा अन्य सभी प्रकार का दायित्व एजेंसी का होगा।
7. प्रत्येक चरण के कार्य समाप्त होने के पश्चात् अनुबन्ध के अनुरूप बिल प्रस्तुत करने होंगे तथा अलग–अलग कार्य का अलग–अलग बिल प्रस्तुत करना होगा। बिलों में सम्बन्धित कार्यों का विधिवत उल्लेख करना होगा एवं बिल सम्बन्धित अधिकारी/सहायक द्वारा सत्यापित होना चाहिए।
8. निविदा की अवधि अनुबन्ध की तिथि से एक वर्ष तक प्रभावी रहेगी। निविदा अवधि में किराये की दर में किसी भी प्रकार का परिर्वतन अनुमन्य नहीं होगा।
9. निविदा हेतु सुरक्षा धनराशि के रूप में जमा की जाने वाली धनराशि केवल बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में ही मान्य होगी। सुरक्षा धनराशि के रूप में राष्ट्रीय बचत पत्र/एफ0डी0आर0/बियरर चेक/आर्डर चेक/एकाउंट पेयी चेक संलग्न किये जाने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
10. एजेंसी को किसी सरकारी/अर्द्ध सरकारी कार्यालय में कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
11. ट्रैवल्स एजेंसी के पंजीकरण प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
12. ट्रैवल्स एजेंसी के स्वामित्व में कितनी गाड़ियाँ है, उनका विवरण तथा स्वामित्व के अभिलेख भी संलग्न करना अनिवार्य है।
13. विश्वविद्यालय के मा0 कुलपति जी को यह अधिकार है कि वह एक अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये, कभी भी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दे। किसी भी प्रकार से अपूर्ण निविदा स्वीकार नहीं होगी।
14. फर्म द्वारा दरें संलग्न प्रपत्र पर ही प्रस्तुत की जायें अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
15. निविदा के साथ संलग्न किये जा रहे समस्त प्रपत्रों को निविदादाता द्वारा प्रमाणित व हस्ताक्षरित होना चाहिए ।

16. भार–वाहन से सम्बंन्धित वाहनों की दर का उल्लेख सम्बंधित वाहन की भार–क्षमता जो परिवहन विभाग द्वारा स्वीकृत है सहित करना होगा । किसी भी दशा में अधिक लोडिंग की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

17. भार–वाहक वाहनों से सामान्यतया विश्वविद्यालय की परीक्षा में नोडल केन्द्रों / परीक्षा केन्द्रो पर कोरी उत्तर पुस्तिकायें पहुँचाई जायेगी तथा परीक्षा समाप्ति पर उन लिखित उत्तर पुस्तिकाओं को नोडल केन्द्र / परीक्षा केन्द्र से मगांने का कार्य लिया जायेगा ।

18. परीक्षा की उत्तर पुस्तिकओं को ले जाना तथा वापस लाना एक महत्वपूर्ण कार्य है अतएव इस कार्य में विलम्ब या असावधानी क्षम्य नही होगा तथा किसी भी चूक के लिए ट्रैवेल ऐजेंसी पूर्णतः उत्तरदायी होगी ।

19. किसी भी चूक / उत्तरदायी कृत्य के लिए दण्ड स्वरूप प्रथमतः जमा सुरक्षा धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा ट्रैवेल ऐजेंसी का पंजीकरण समाप्त करवाने की कार्यवाही प्रचलित की जायेगी तथा ऐजेंसी को काली सूची में डाल दिया जायेगा ।

20. विश्वविद्यालय को हानि (आर्थिक / प्रतिष्ठा) की स्थिति पहुँचाने की स्थिति में दण्डात्मक कार्यवाही भी की जायेगी तथा हानि की प्रतिपूर्ति के लिए ऐजेंसी की सम्पत्ति से तथा अन्यथा की स्थिति में ऐजेंसी के स्वामी से वसूली की कार्यवाही की जायेगी ।

21. हानि के आकलन के लिए विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति द्वारा एक समिति की अनुशंसा पर इस सम्बंध में कार्यवाही की जायेगी ।

22. बाजार दर से न्यून दर देने पर वाहनों की उपलब्धता प्रभावित होने की अथवा किसी अन्य सुविचारित अपकृत्य किये जाने की सम्भावना के अर्न्तगत उनके निविदा दरों को अस्वीकृत करने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा तथा वाहन का फर्म द्वारा दरों का उल्लेख करते समय विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप का प्रयोग किया जाना अनिवार्य है। प्रतिदिन के स्थिर किराये के अतिरिक्त प्रति किलोमीटर ईधन सहित दरों को उपलब्ध करायें अन्यथा की स्थिति में उन पर विचार नहीं किया जायेगा ।

23. किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी का निर्णय अंतिम होगा तथा उभय पक्षों पर वाध्यकारी होगा ।

कुलसचिव